कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

: : कार्यालय आदेश : :

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–1/नियुक्ति/पीएससी–15/2018 दिनांक 28.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी (सुनील कुमार हरित) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,.जोधपुर में याचिका संख्या 838/2020 सुनील कुमार हरित बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 838/2020 सुनील कुमार हरित बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2020 में याचिका को एस.बी.सिविल या.सं. 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 21.11.2017 व एस.बी.सिविल या.सं. 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2015 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस.बी.सिविल या.सं. 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 21.11.2017 में आदेशित किया है **"IN THE RESULT THIS WRIT PETITION IS ALLOWED AND THE RESPONDENTS ARE DIRECTD TO TREAT THE PETITIONERS SENIOR TO RESPONDENTS NO.4 TO 8 AS PER THEIR PLACEMENT IN THE MERIT LIST."**

Rajasthan Education Department

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में याचिकार्थी सुनील कुमार हरित प्राध्यापक संस्कृत द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 28.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. सं.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं0	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1	SUNIL KUMAR HARIT	10.11.1984	127	28-08-2018	08-09-2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक संस्कृत विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 28.06.2017 में कार्मिक ज्योति मेरिट क्रमांक 353 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी ज्योति द्वारा रा.आदर्श उमावि MODRA STATION, JALORE में दिनांक 30.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 838/2020 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 30.01.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त विभिन्न

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.0[illegible] [illegible]:57:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4493467

चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी ज्योति मेरिट क्रमांक 353 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 28.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में ज्योति द्वारा दिनांक 30.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यिर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्वि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

ज्योति द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक ज्योति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी सुनील कुमार हरित भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें, लेकिन वे केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

Rajasthan Education Department

(काना राम)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–1/संस्कृत/कोके/नोशनल/एसबीसी–338/20(सुनील कुमार हरित) **दिनांक–** 18.8.23

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
06. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.[illegible]:57:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4493467